THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (b) The physically handicapped persons are exempted frompayment of application and examintion fees prescribed in respect of competitive examinations held for recruitment to various Group 'A' and 'B' (Gazetted) posts. Blind candidates amongst the phsically handicapped category are allowed to appear in the Civil Services Examination conducted by the UPSC annually to select candidates for the All India Services and Group 'A' and 'B' Central Services. Physical standards prescribed for vision are relaxable in case of blind candidates and they are also allowed to write the Civil Services Examination with the help of a scribe. No proposal for making reservation for the physically handicapped persons in the posts filled up through the Civil Services Examination is under consideration of the Government.

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले

2533. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994, 1995, 1996 के दौरान और 30 सितम्बर, 1997 तक देश में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्या है और कितने मामालो में वास्तविक रूप से कार्यवाही की गई;

(ख) इस संबंध में अब तक की गई राज्य-वार प्रगति का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए; और

(घ) कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1994, 1995, 1996 तथा 1997 (सितम्बर 30, 1997 तक) के दौरान, ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार रहा है:—

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन प्रारंभ किया गया/नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।
1994	1389	1158
1995	1438	1072
1996	1459	1017
1997 (30.09.1997 तक)	972	642

(ख) विवरण संलग्न (नीचे देखिये)

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें उक्त अवधि के दौरान आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं, निम्नानुसार रही है:—

वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं।
1994	660
1995	634
1996	604
1997	389

(घ) 30.06.1998 की स्थिति के अनुसार प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं पूरी होने के पश्चात् 108 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए जाने की संभावना है। जहां तक अन्य ऐसे मामलों जिनमें जांच चल रही है के संबंध में जांच कार्य पूरा होने, की कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है। इस जांच के बाद देश के कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

विवरण

अब तक की गई राज्य-वार प्रगति का विस्तृत ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्य का नाम	दर्ज किए गए मामलों की संख्या।	उन मामलों की सं॰ जिनमें जांच संबंधी कार्य निपटा दिया गया है।	जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	385	231	154
2.	हरियाणा	55	23	32
3.	दिल्ली	871	570	301
4.	राजस्थान	305	240	65
5.	पंजाब	95	38	57
6.	बिहार	375	223	152
7.	मध्य प्रदेश	249	166	83
8.	उड़ीसा	243	199	44
9.	पश्चिमी बंगाल	427	301	126
10.	महाराष्ट्र	526	344	182
11.	जम्मू और कश्मीर	134	93	41
12.	तमिलनाडु	398	202	196
13.	केरल	126	94	32
14.	मेघालय	25	19	06
15.	मिजोरम	13	08	05
16.	अरूणाचल प्रदेश	16	12	04
17.	सिक्किम	—	—	—
18.	त्रिपुरा	04	03	01
19.	कर्नाटक	177	101	76
20.	गोवा	13	09	04
21.	आन्ध्र प्रदेश	262	196	66
22.	नागालैंड	12	07	05
23.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
24.	मणिपुर	12	08	04
25.	गुजरात	201	161	40
26.	असम	172	107	65
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	पांडिचेरी	—	—	—
2.	लक्षद्वीप	1	1	—
3.	दमण और दीव	—	—	—
4.	अंडमान और निकोबार	2	2	—
5.	चंडीगढ़	159	135	24
	कुल योग	5258	3493	1765